महत्वपूर्ण/आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मानवाधिकार प्रकोष्ठ, द्वितीय तल, टॉवर–2, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010
फैक्स नं0: 0522–2390476 e-mail: humanrightshq@nic.in

परिपत्र संख्या–डीजी–25/2020 दिनॉकः लखनऊः अगस्त 06 ,2020

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

पुलिस अधीक्षक 'रेलवेज',
उत्तर प्रदेश।

विषय गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना।

कृपया उपर्युक्त विषय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः15011/66/2020–HR-I & II, दिनांक 13.07.2020 के माध्यम अवगत कराया गया है कि विगत दिनों में पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की कथित घटनाएं गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा इस तरह की घटनाओ से पुलिस व कानून लागू करने वाली एजेन्सी के प्रति लोगों का विश्वास कम होता है।

2– पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि विधि का अनुपालन नियमानुसार कड़ाई से किया जाना चाहिए। कानून लागू करने वाली सभी एजेन्सियों द्वारा अपने दायित्वों तथा कर्तव्यों का निष्पादन न सिर्फ निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए, बल्कि इनके कार्य संदेह व आलोचना से भी परे हों। यह सुनिश्चित करने के लिये निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है कि विधि अथवा अधिकारों का दुरूपयोग न हो तथा संस्था को पूर्ण रूप से संवेदनशील बनाया जाये जिससे कानून के प्राविधानों का अनुपालन सावधानी पूर्वक, गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशीलता के साथ सुनिश्चित हो सके।

3– निर्देशित किया जाता है पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के प्रकरणों में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निम्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें :–

1. District Magistrate and Superintendent of Police of every district should report to the Secretary General of NHRC about incidents of deaths in police custody/judicial custody within 24 hours of occurrence or of these officers having come to know about such incidents. Failure to report promptly would give rise to presumption that there was attempt to suppress the incident.

2. The post mortem examination process be video filmed.

3. To adhere to the Model Autopsy Form and the additional procedure for inquest as prescribed by NHRC vide their letter No. NHRC/ID/PM/96/57 dated 27.03.1997.

circular

4. In every case of custodial deaths, Magisterial Enquiry has also to be done and be completed as soon as possible but in such a way that within 2 months deadline, the Magisterial Enquiry report is made available.

5. The post martem report along with videography and the Magisterial Enquiry report must be sent within 2 months of the incident in the proforma prescribed as circulated by NHRC vide their letter No. NHRC/ID/PM/96/57 dated 27.03.1997.

6. In some cases of custodial deaths where viscera report takes time, the post mortem report and other documents should be sent to the Commission without waiting for the viscera report. The Viscera report should be sent subsequently as soon as it is received.

7. The requirement of videography of postmortem examinations in respect of deaths in jail will be applicable only in the following cases:-

(i) Where the preliminary inquest by the Magistrate has raised suspicion of some foul play.

(ii) Where any complaint alleging foul play has been made to the concerned authorities or there is any suspicion of foul play.

4— उपरोक्त के अतिरिक्त पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु एवं पुलिस यातना की रोकथाम के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 50/2018 दिनांक 13.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके प्रस्तर–3 में निम्न उद्धरण अंकित किया गया है :–

" पुलिस अभिरक्षा मृत्यु के सम्बन्ध में दण्ड विधि (संशोधन) 2005 (2005 का अधिनियम सं0–25) द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 176 में उपधारा (1-A) का समावेश करते हुये निम्नलिखित प्राविधान किया गया है:–

(1-A)– Where,-

(a) any person dies or disappears, or

(b) rape is alleged to have been committed on any woman,

while such person or woman is in the custody of the police or in any other custody authorised by the Magistrate or the Court, under this Code in addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the Judicial Magistrate or the Metropolitan Magistrate, as the case may be, within whose local jurisdiction the offences has been committed.

5— कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

circular